भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1461

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

आंध्र प्रदेश में अटल भूजल योजना के अंतर्गत जलसंकटग्रस्त गांवों की पहचान

1461. डॉ. बायरेड्डी शबरी:
श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अटल भूजल योजना (एबीवाई) के अंतर्गत सहभागी राज्यों में जलसंकटग्रस्त ग्राम पंचायतों (जीपी) की पहचान के लिए अपनाए गए मानदंड क्या हैं;

(ख) इन राज्यों में एबीवाई के अंतर्गत चिह्नित किए गए और शामिल किए गए जलसंकट ग्रस्त गांवों की जिलेवार कुल संख्या कितनी है;

(ग) एबीवाई के आरंभ से इसके तहत शुरू की गई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इनके कार्यान्वयन के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) आंध्र प्रदेश में, और विशेष रूप से नान्दयाल में, जलसंकटग्रस्त गांवों का जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस तथ्य के दृष्टिगत कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश एबीवाई के अंतर्गत शामिल नहीं है, सरकार का विचार निकट भविष्य में नान्दयाल जैसे जिलों को कवर करने के लिए एबीवाई का विस्तार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): अटल भूजल योजना को सात राज्यों अर्थात् हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों का चयन, मापदंड़ों की संख्या के अनुसार, किया जाता है, जिसमें भूजल प्रबंधन से संबंधित कार्यान्वयन पहल, भूजल अतिदोहन, और डिग्रेडेशन की डिग्री, संस्थागत तत्परता विनियमित दस्तावेज स्थापित कानूनी अनुभव शामिल है।

(ख): सात राज्यों में अटल भूजल योजना के अंतर्गत शामिल क्षेत्र को निम्नलिखित यूआरएल पर https://ataljal.mowr.gov.in/WriteReadData/GeneralNotices/6ebd9724-a9b2-4bb1-a8d5-4843116c4e37_adbbde_Master_List_ABY_26072024.pdf देखा जा सकता है।

(ग): अटल भूजल योजना, भूजल विकास से भूजल प्रबंधन की ओर, एक मूल बदलाव की प्रतीक है। इस योजना की मुख्य विशेषताओं में, समुदाय आधारित निगरानी और भूजल डेटा साझाकरण, प्लानिंग, क्षमता निर्माण और सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। यह भूजल संरक्षण के लिए सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, पाइपलाइनों का उपयोग आदि जैसे मांग पक्ष कार्यकलाप पर केंद्रित प्रथम योजना है। जल बजट तथा सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधिकरण, पाइप लाइनों का उपयोग जैसे प्रस्तावित मांग पक्ष कार्यकलाप तथा चैक डैम, फार्म पोंड, जल पुनर्भरण शाफ्ट जैसे आपूर्ति पक्ष कार्यकलाप तथा अन्य कृत्रिम पुनर्भरण/जल संरचनाओं का विनिर्माण तथा उनका चल रहीं योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से निष्पादन जैसी जल सुरक्षा योजनाओं का ग्राम-पंचायत-वार ब्यौरा। अटल भूजल योजना के अंतर्गत पूर्ण/चल रही प्रमुख कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

i. सभी अटल जल ग्राम पंचायतों में खुला प्रकटीकरण के विभिन्न तरीकों जैसे कि केंद्र/राज्य वेब पोर्टल, प्रत्येक ग्राम पंचायत में डिस्प्ले बोर्ड, सोशल मीडिया, वॉल-पेंटिंग, पैम्फलेट/ब्रोशर का वितरण, सार्वजनिक बैठकें और अटल जल मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से डेटा का सार्वजनिक खुलासा।
ii. अटल भूजल योजना की सभी ग्राम पंचायतों के लिए जल बजट और समुदाय आधारित जल सुरक्षा योजनाएं तैयार करना।
iii. डब्ल्यूएसपी के तहत, प्रस्तावित आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष उपायों के कार्यान्वयन लिए चल रही/नई योजनाओं के अभिसरण से 4600 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित की गई है।
iv. लगभग 6.7 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को ड्रिप, स्प्रिंकलर, मल्चिंग, फसल विविधीकरण आदि सहित कुशल जल उपयोग पद्धतियों के अंतर्गत लाया गया है।
v. 68,000 से अधिक कृत्रिम पुनर्भरण/जल संरक्षण अवसंरचनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है।
vi. अब तक, 1.2 लाख से अधिक प्रशिक्षण आयोजित किए गए है।
vii. वर्ष 2024 में, 1,333 ग्राम पंचायतों और 61 ब्लॉक में जल स्तर में बढ़ोत्तरी देखी गई है।

अटल भूजल योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को इस योजना के शुरूआत से अब तक किया गया अंतिम आवंटन, नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

राज्य/एनपीएमयू	सांकेतिक आवंटन (करोड़ रुपए में)
गुजरात	756.76
हरियाणा	723.19
कर्नाटक	1201.52
मध्य प्रदेश	314.54
महाराष्ट्र	925.77
राजस्थान	1189.65
उत्तर प्रदेश	729.24
राष्ट्रीय कार्यक्रम निगरानी इकाई	159.33
कुल	6000.00

राज्यों को संवितरित निधियों का राज्य-वार विवरण और अटल भूजल योजना की शुरूआत से राज्यों द्वारा उपयोग की निधियों का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

(करोड़ रूपये में) (दिनांक 06.02.2025 तक)

राज्य	संवितरित निधियां	उपयोग की गई निधि
गुजरात	522.28	440.94
हरियाणा	729.50	526.32
कर्नाटक	819.51	735.20
मध्यप्रदेश	180.97	169.31
महाराष्ट्र	506.61	504.16
राजस्थान	389.53	361.43
उत्तर प्रदेश	198.53	173.22
कुल	3,346.93	2,910.58

(घ): प्रत्येक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सक्रिय भूजल संसाधनों का आंकलन वर्ष 2022 से वार्षिक रूप से केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्य नोडल/भूजल विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। "भारत के सक्रिय भूजल संसाधन का राष्ट्रीय संकलन, 2024" के रिपोर्ट के अनुसार, आंध्रप्रदेश में 679 आंकलन इकाई में से, 9 (1.3 प्रतिशत) इकाई को 'अति-दोहित', 2 इकाई (0.3 प्रतिशत) को 'गंभीर', 38 इकाई (5.6 प्रतिशत) को 'अर्द्ध गंभीर', 591 इकाई (87 प्रतिशत) को 'सुरक्षित' के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है और 39 इकाई को 'लवण्ता'

(5.74 प्रतिशत) के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। मंडल को इकाई के रूप में लेते हुए आंध्रप्रदेश में भूजल संसाधन का आंकलन किया जाता है। नंदयाल जिला में 29 आंकलन इकाई है और सभी को 'सुरक्षित श्रेणी' के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। आंध्रप्रदेश में अर्द्ध-गंभीर, गंभीर, और अति-दोहित आंकलन इकाईयों की स्थिति का जिला-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल आंकलन इकाईयां	जिसमें से		
			अर्द्ध-गंभीर	गंभीर	अति-दोहित
1.	श्री पोट्टी श्रीरामुलू नेल्लोर	37	1	0	0
2.	श्रीकाकुलम	30	0	1	1
3.	श्री साथया साय	32	5	1	4
4.	कोन्नासीमा	22	0	0	0
5.	ईलूरू	27	0	0	0
6.	पश्चिम गोदावरी	20	0	0	0
7.	बापतल्ला	25	0	0	0
8.	पालनाडु	28	1	0	1
9.	काकीनाड़ा	21	0	0	0
10.	वाई.एस.आर. कड्प्पा	36	4	0	0
11.	अंनंतपुरूमू	32	1	0	0
12.	चितुर	31	10	0	0
13.	पूर्वी गोदावरी	19	4	0	0
14.	गुनटूर	18	0	0	0
15.	कृष्णा	25	0	0	0
16.	करनूल	26	1	0	0
17.	प्रकाशम	38	5	0	3
18.	विशाखापट्टनम	11	4	0	0
19.	अन्नामाया	30	2	0	0
	कुल	**508**	**38**	**2**	**9**

(ङ): अटल भूजल योजना, निश्चित अवधि और परिव्यय के साथ सहभागी भूजल प्रबंधन के साथ तैयार की गई एक प्रायोगिक परियोजना है। इस समय, यह परयोजना प्रभाव आंकलन चरण में है।

*****